SHRI ABIR RANJAN BISWAS (West Bengal): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

श्री उपसभापति : माननीय श्री बाबूभाई जेसंगभाई देसाई, आप अपने विषय पर बोलिए।

Climate change and its consequences

श्री बाबूभाई जेसंगभाई देसाई (गुजरात) : माननीय उपसभापति जी, सांसद बनने के बाद आपने मुझे सदन में प्रथम बार बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज मैं आपके सामने हमारे समय की एक तत्काल और निर्णायक चुनौती जलवायु परिवर्तन का समाधान करने के विषय पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारा पर्यावरण मानवीय गतिविधियों के कारण अभूतपूर्व परिवर्तनों से गुज़र रहा है, जिसके परिणामस्वरूप तापमान में वृद्धि, मौसम के पैटर्न में बदलाव और असंख्य पारिस्थितिक व्यवस्थापन उत्पन्न हुए हैं। वैज्ञानिक सहमति स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन हमारे पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और जीवन शैली के लिए गंभीर खतरा है। यह लगातार अधिक बर्फ पिघलने, मौसम की गंभीर घटनाओं और जैव विविधताओं के नुकसान की गवाह है। यह महज चेतावनी नहीं है, बल्कि एक कठोर वास्तविकता है, जो तत्काल ध्यान देने और कार्यवाही करने की मांग करती है। भावी पीढ़ियों के लिए इसकी सुरक्षा करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हमें स्थायी ऊर्जा स्रोतों की ओर बदलाव करना चाहिए, ग्रीन हाउस गैस परिवर्तन को कम करना चाहिए और जिम्मेदार खपत और उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए। इसके लिए सभी क्षेत्रों, सीमाओं और राजनैतिक विचारधाराओं में सहयोग की आवश्यकता है। हमारे पास कानून निर्माताओं के रूप में ऐसी नीतियाँ बनाने की शक्ति है जो नवाचार का प्रोत्साहन करती है, नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश करती है और औद्योगिक लोगों को उनके द्वारा पर्यावरण पर किए गए प्रभाव के लिए जवाबदेह बनाती है। आइए, हम अल्पकालिक लाभ से अधिक अपने ग्रह को, यहाँ के लोगों की भलाई को प्राथमिकता दें और एक ऐसे भविष्य की दिशा में काम करें, जहाँ स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी और स्वच्छ जलवायु सुनिश्चित हो एवं जिसका कोई और विकल्प नहीं है।

माननीय उपसभापति जी, आपने मुझे यहाँ पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Biplab Kumar Deo to speak on concern over misuse of technology and Artificial Intelligence to create deep effects. He is not present. Now, Shri Muzibulla Khan.

Demand to start new route for Vande Bharat Express train connecting Bhubaneshwar and Hyderabad

SHRI MUZIBULLA KHAN (Odisha): Thank you, Sir. In order to meet Odisha's demand for connectivity, it is very necessary for Odisha to have good train connectivity with various regions. A new Vande Bharat Express train between Puri and Howrah was started. Now, there has been a recent addition with a new Vande Bharat Express train between Puri and Rourkela. Looking at the massive rush at Puri and to further improve connectivity, it is imperative that more Vande Bharat Express trains be introduced in Odisha. The State of Odisha has suffered neglect from the Central Government, as reflected in its poor rail connectivity. Further, the degree of connectivity is very poor across the Odisha region. For instance, there are very few express trains connecting Bhubaneswar and other parts of Odisha. Both the express trains mentioned connect another side of Odisha. A new proposal for connectivity by running trains between Bhubaneswar and Hyderabad is there. With the introduction of Vande Bharat train between two hubs will reduce travel time by seven hours. Major complaint is of dearth of trains running between two locations. Introduction of new trains will further improve connectivity. As a result, passengers will get relief as it will give a much-needed push to the connectivity. Thank you.

DR. JOHN BRITTAS (Kerala): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI SUJEET KUMAR (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Now, Shrimati Sangeeta Yadav. Concern over problems faced by mentally-challenged people.

श्रीमती संगीता यादव (उत्तर प्रदेश): सर, मैंने ज़ीरो ऑवर के लिए नाम नहीं दिया है।

श्री उपसभापति : माननीय सदस्या, आप जिस विषय पर यहाँ बोलने के लिए अपना नाम देती हैं, उस विषय का ध्यान रखें और बोलें। प्लीज़।

श्रीमती संगीता यादव : सर, सॉरी, आज मैंने इसे नहीं देखा था। मेरा विषय कल लगा था।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Dr. Radha Mohan Das Aggarwal.

Demand for the provision of salaries and allowances to local representatives of the constituency

डा .राधा मोहन दास अग्रवाल (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभापति महोदय, भारत के संविधान में यह व्यवस्था है कि व्यक्ति काम के बदले में वेतन पाए और समान काम के बदले में समान वेतन पाए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस देश में जनप्रतिनिधियों के साथ ही दोहरा आचरण किया जा रहा है। राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति महोदय, केन्द्र के मंत्रिगण, राज्य के मंत्रिगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, इन सबने संवैधानिक तरीके से कानून बना कर अपने-अपने वेतन, अपने-अपने भत्ते और अपनी-अपनी पेंशन की व्यवस्था की हुई है। हम लोगों ने यह व्यवस्था संविधान प्रदत्त माध्यमों से की है, लेकिन दुखद है कि इस देश में लाखों की संख्या में ऐसे जमीनी जनप्रतिनिधि हैं, ग्राम प्रधान से लेकर मेयर तक, जो धरातल पर बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। हम यहाँ विकास की जो भी योजनाएँ बनाते हैं, धरातल पर उनको लागू करने का काम वे ही करते हैं। वे जनता के प्रत्यक्ष संपर्क में रहते हैं। लगातार जन समस्याओं को लेकर उन्हें 24 घंटे काम करना होता है। हमने इन बड़े जनप्रतिनिधियों के लिए संविधान के तौर-तरीके से वेतन, भत्ते और पेंशन की व्यवस्था कर दी। शायद भारत अकेला ऐसा देश होगा, जिसने संवैधानिक रूप से 73वें और 74वें संशोधन के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण किया और स्थानीय निकायों को चलाने के लिए संवैधानिक रूप से जनप्रतिनिधियों की व्यवस्था की, उनके अधिकार दिए, उनके दायित्व दिए, लेकिन उनको जो कुछ नहीं दिया, वह यह था कि उनका वेतन नहीं दिया, उनका भत्ता नहीं दिया और उनकी पेंशन नहीं दी। मैं इस सदन से जानना चाहता हूँ कि इस सौतेले और दोहरे आचरण का आधार क्या है? जो छोटे जनप्रतिनिधि होते हैं, क्या उनके परिवार नहीं होते, क्या उनके माँ-बाप नहीं होते? क्या उन्हें अपने माँ-बाप की चिंता नहीं करनी होती, अपने बच्चों की चिंता नहीं करनी होती? आखिर किन कारणों से आज तक हमने संवैधानिक रूप से उनके लिए यह व्यवस्था नहीं की? स्थानीय आधार पर सरकारें और मुख्य मंत्री दया की तरह उनको वेतन और भत्ता देते हैं तथा ब्यूरोक्रेसी उनको नियंत्रित करती है। इस देश में यह दोहरा आचरण समाप्त होना चाहिए। अगर हम संविधान संशोधन लाकर जनप्रतिनिधियों को लाए थे, तो हमें उस कानून में यह व्यवस्था करनी चाहिए थी कि हम उन्हें आर्थिक रूप से समर्थ बनाते। हमने यह काम नहीं किया। हमने लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है। हमने उन्हें अधिकारियों के आधार पर छोड़ दिया है। इसलिए उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से माँग करता हूँ, सरकार से मेरी अपेक्षा है कि 73वें और 74वें संशोधन में सरकार संविधान संशोधन करे और अपने सारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों के लिए वेतन, भत्ते और पेंशन की ...(**व्यवधान**)... ...(**समय की घंटी**)...